संख्या-8/2015/1275/37-1-2015-5(11)/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2015

विषयः.उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं की ड्यूटी से पशुपालन विभाग के अधिकारियों को मुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी लगायी गयी है। आप अवगत हैं कि पशु चिकित्सालयों की कार्यावधि प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 2.30 बजे तक है। पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा इस दौरान पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवायें, कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण जैसी सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। यह सेवायें अत्यन्त आवश्यक हैं और इन्हें बन्द नहीं किया जा सकता है। पशु चिकित्सालयों में एक ही पशु चिकित्साधिकारी तैनात रहता है, अतः पशु चिकित्साधिकारियों की बोर्ड परीक्षाओं में सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी लगाये जाने से पशु चिकित्सालयों का कार्य पूरी तरह से रूक जाता है, जिससे पशुपालकों को काफी असुविधा होती हैं और कभी-कभी तो चिकित्सा के अभाव में पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है।

2- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशु चिकित्साधिकारियों के कार्यो की प्रकृति एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पशु चिकित्साधिकारियों को बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी से मुक्त रखने का कष्ट करें।

भवदीय,
आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या-8/2015/1275(1)/37-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(रमा शंकर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in